



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 27.11.2021

1-थाना फेस- 3 पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के उपरान्त 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल (अपाचे सफेद रंग) व 01 तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

थाना फेस 3 पुलिस द्वारा दिनांक 26.11.2021 को पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त 01 शातिर अभियुक्त 1. राजेश उर्फ भेड़ा पुत्र बिशना कश्यप निवासी ग्राम बसई सै0 70 थाना फेस 3 जिला गौतमबुद्धनगर को हल्का चौकी पर्थला से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक मोटर साईकिल व एक तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद बरामद किये गये है।

अभियुक्त राजेश उर्फ भेड़ा उपरोक्त को घायल होने के उपरान्त उपचार हेतु जिला अस्पताल गौतमबुद्धनगर मे भर्ती कराया गया है। अभियुक्त राजेश उर्फ भेड़ा पुत्र बिशना कश्यप निवासी ग्राम बसई सै0 70 थाना फेस 3 जिला गौतमबुद्धनगर शातिर किस्म का अपराधी है जो एनसीआर क्षेत्र व आस पास के जिलो से मो0सा0 व अन्य दो पहिया वाहनो का लॉक खोलकर वाहन की चोरी व लूट करता है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:**

1.राजेश उर्फ भेड़ा पुत्र बिशना कश्यप निवासी ग्राम बसई सै0 70 थाना फेस 3 जिला गौतमबुद्धनगर

### **अपराधिक इतिहास का विवरण:**

1.मु0अ0स0 923/2016 धारा 411/414/482 भादवि थाना फेस 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

2.मु0अ0स0 758/2017 धारा 147/148/149/307/336/427 भादवि0 थाना फेस 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

3.मु0अ0स0 1286/2017 धारा 394/411 भादवि0 थाना फेस 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

- 4.मु0अ0स0 1290/2018 धारा 411/414 भादवि0 थाना फेस 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर
- 5.मु0अ0स0 499/2018 धारा 394/411 भादवि0 थाना फेस 3 नोएडा
- 6.मु0अ0स0 420/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस 3 नोएडा
- 7.मु0अ0स0 421/2019 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना फेस 3 नोएडा
- 8.मु0अ0स0 1290/2017 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना फेस 3 नोएडा
- 9.मु0अ0स0 1447/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 3 नोएडा
- 10.मु0अ0स0 841/2021 धारा 379 भादवि0 थाना फेस 3 नोएडा
- 11.मु0अ0स0 1299/2019 धारा 398/401 भादवि0 थाना फेस 3 नोएडा
- 12.मु0अ0स0 1278/2019 धारा 392 भादवि0 थाना फेस 3 नोएडा
- 13.मु0अ0स0 1186/21 धारा 307 भादवि थाना फेस 3 नोएडा
- 14.मु0अ0स0 1187/21 धारा 414/411 भादवि0 थाना फेस 3 नोएडा
- 15 मु0अ0स0 1188/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस 3 नोएडा
- 16.मु0अ0स0 1292/2017 धारा 392 भादवि0 थाना सैक्टर 39 नोएडा
- 17.मु0अ0स0 1260/2017 धारा 392 भादवि0 थाना सैक्टर 39 नोएडा
- 18.मु0अ0स0 1378/2017 धारा 392 भादवि0 थाना सैक्टर 39 नोएडा
- 19.मु0अ0स0 457/2013 धारा 392/411 भादवि0 थाना सैक्टर 58 नोएडा
- 20.मु0अ0स0 526/2013 धारा 392/411 भादवि0 थाना सैक्टर 58 नोएडा
- 21.मु0अ0स0 549/2013 धारा 392/411 भादवि0 थाना सैक्टर 58 नोएडा
- 22.मु0अ0स0 805/2011 धारा 392/411 भादवि0 थाना सैक्टर 58 नोएडा
- 23.मु0अ0स0 810/2012 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना सैक्टर 58 नोएडा
- 24.मु0अ0स0 811/2012 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना सैक्टर 58 नोएडा
- 25.मु0अ0स0 814/2012 धारा 41/102 सीआरपीसी थाना सैक्टर 58 नोएडा
- 26.मु0अ0स0 941/2012 धारा 363/366/376 भादवि0 थाना सैक्टर 58 नोएडा

27.मु0अ0स0 610/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सैक्टर 58 नोएडा

28.मु0अ0स0 230/2015 धारा 392/411 भादवि0 थाना सैक्टर 58 नोएडा

### **बरामदगी का विवरण:**

1.एक मोटर साईकिल अपाचे सफेद रंग न0 यूपी 37 डी 8202

2.01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर

### **2- थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 9.800 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद।**

थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा दिनांक- 26.11.2021 को एन.आर.आई कट थाना क्षेत्र बीटा-2 से एक शातिर किस्म के डोडा तस्कर अभियुक्त अमनदीप पुत्र जसविन्दर सिंह नि0 म0नं0 1679/4 नभा गेट मौहल्ला खालसा पटियाला पंजाब को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 9.800 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद हुआ है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. अमनदीप पुत्र जसविन्दर सिंह नि0 म0नं0 1679/4 नभा गेट मौहल्ला खालसा पटियाला पंजाब।

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 1072/21 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट एक्ट थाना बीटा-2 ग्रे0नो0

### **बरामदगी का विवरण-**

9.800 किलोग्राम अवैध डोडा



**3-थाना दनकौर पुलिस द्वारा चौकी प्रभारी बिलासपुर पर गोली चलाने वाला अपराधी पुलिस मुठभेड के उपरान्त घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से एक मोटर साइकिल व एक मोबाइल फोन तथा निशादेही से घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद।**

थाना दनकौर पुलिस द्वारा दिनांक 26.11.2021 को चौकी इंचार्ज बिलासपुर पर गोली चलाने वाले अभियुक्त विपिन नागर उर्फ जे0पी0 पुत्र धर्मवीर नि0 ग्राम इमलिया थाना ईकोटेक प्रथम गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त विपिन को गिरफ्तारी के बाद घटना से सम्बन्धित पिस्टल बरामदगी के लिये घटनास्थल पर ले जाया गया उसी दौरान अभियुक्त ने छुपाये हुये पिस्टल से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग मे विपिन उपरोक्त के बाये पैर में गोली लगी जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है।

अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं जनपद के अन्य थानों में भी अभियुक्तगणों के विरूद्ध मुकदमे पंजीकृत है।

### **अभियुक्त का विवरण -**

विपिन नागर उर्फ जे0पी0 पुत्र धर्मवीर नि0 ग्राम इमलिया थाना ईकोटेक प्रथम गौतमबुद्धनगर

### **आपराधिक इतिहास का विवरण -**

- 1-मु0अ0सं0 494/16 धारा 392/411 भादवि थाना बीटा -2 गौतमबुद्धनगर
- 2-मु0अ0सं0 -535/16 धारा 392/411 भादवि थाना बीटा -2 गौतमबुद्धनगर
- 3-मु0अ0सं0 -115/16 धारा 147/148/149/307/ भादवि थाना ईकोटेक-1 गौतमबुद्धनगर
- 4-मु0अ0सं0 -760 /14 धारा 307/393 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर
- 5-मु0अ0सं0 5/17 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना बीटा -2 गौतमबुद्धनगर
- 6-मु0अ0सं0 612/20 धारा 188/269/270 भादवि थाना ईकोटेक -3 गौतमबुद्धनगर
- 7-मु0अ0सं0 961/20 धारा 188 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर
- 8-मु0अ0सं0 515/21 धारा 307 भादवि थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
- 9-मु0अ0सं0 516/21 धारा 307 भादवि थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर
- 10-मु0अ0सं0 -517/21 धारा 3/25/27 आम्स अधि0 थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

## बरामदगी का विवरण-

- 1-एक पिस्टल 32 बोर, 02 जिंदा कारतूस व 01खोखा कारतूस 32 बोर ,
- 2-एक मोसा स्पलेन्डर न0 एचआर 72 5122
- 3-एक मोबाइल फोन सैमसंग

**# 12वें नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर कमिश्नर गौतमबुद्धनगर, यंग इंडियंस व कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के संयुक्त प्रयास से पुलिसकर्मियों हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।**

अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय पुष्पांजलि की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में आये विशेषज्ञों द्वारा अंगदान व इससे जुड़े सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।

दिनांक 27.11.2021 को 12वें नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर पुलिस कमिश्नर कार्यालय सेक्टर 108 नोएडा के सभागार में पुलिसकर्मियों हेतु अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अपर पुलिस आयुक्त श्रीमती पुष्पांजलि देवी के मार्गदर्शन में यंग इंडियंस नोएडा-सीआईआई के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पुलिसबल को अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के नियमों, संशोधनों के विषय में जागरूक करते हुए पुलिस जोकि दुर्घटना एवं मेडिकोलीगल प्रक्रिया में फर्स्ट रेस्पॉन्डर रहती है, अंगदान प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस बल को ऑर्गन डोनेशन के सभी पहलुओं से परिचित कराया गया साथ ही इसके सम्बन्ध में जो भी भ्रांतियां हैं उन्हें दूर किया गया ताकि पुलिसकर्मी इस महिम को सशक्त बना सकें।

इस अवसर पर डॉ संजीव लालवानी एम डी (AIMS) ने अंग प्रत्यारोपण अधिनियम व ऑर्गन डोनेशन की सम्पूर्ण प्रक्रिया व कानूनी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में बताया। डॉ सुनयना अरोड़ा ने ऑर्गन डोनेशन के अवधारणा व महत्व के बारे में बताया।

डीसीपी ट्रैफिक ने गौतमबुद्धनगर में अंगदान व प्रत्यारोपण प्रक्रिया को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से सुगम बनाने के सम्बन्ध में अवगत कराया।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी गौतमबुद्धनगर छवि रंजन द्विवेदी द्वारा उपस्थित पुलिसकर्मियों को सड़क दुर्घटना के मामलों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना करने व ग्रीन ट्रिब्यूनल में जमा होने वाले जरूरी दस्तावेजों के सम्बंध में जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित विशेषज्ञों ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुलिसकर्मियों के अंगदान सम्बन्धी शंकाओं को दूर करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए तथा कोविड महामारी के दौरान गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा किये गए कार्यों को सराहा।

कार्यक्रम के दौरान श्री रवि केम्पेगौड़ा - अपर पुलिस आयुक्त, बैंगलोर, डॉ संजीव लालवानी - एम्स में फॉरेंसिक विशेषज्ञ, सुश्री सुनयना अरोड़ा, सीईओ ऑर्गन इंडिया, डीसीपी ट्रैफिक नोएडा छवि रंजन द्विवेदी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी शामिल हुए।



**# कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस की थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा जम्मू कश्मीर से परीक्षा देने आये 03 विद्यार्थियों का खोया हुआ बैग ढूँढकर सुपुर्द किया गया।**

दिनांक 27.11.2021 को थाना सेक्टर-58 क्षेत्र के अन्तर्गत सेक्टर-62 मेट्रो स्टेशन से जम्मू कश्मीर से आये 03 विद्यार्थियों का बैग जो ऑटो से गुम हो गया था जिसमें तीनों विद्यार्थियों का लैपटॉप, कक्षा 10वीं, 12वीं व बीटेक की मार्कशीट, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड एवं अन्य महत्वपूर्ण कागजात थे। सूचना पर थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा उक्त विद्यार्थियों के बैग को ढूँढकर सुपुर्द किया गया है। विद्यार्थियों द्वारा पुलिस द्वारा तत्परता से की गयी कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है।

**# कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस की थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा घर से लापता हुये 04 बच्चों को परिजनों से मिलाया।**

दिनांक 27.11.2021 को थाना सेक्टर 49 क्षेत्र के अन्तर्गत होशियारपुर से चार बच्चे जिनमें 03 लडकी और 01 लडका लापता हो गये थे। चारों बच्चों की उम्र करीब 04 से 08 की बीच है। सूचना पर थाना सेक्टर 49 की बडी पेयर टीम द्वारा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन के पास से ढूंढ कर उनके माता पिता के सुपुर्द किय गया है। बच्चो से मिलकर परिजनों के चहरों पर लौटी मुस्कान। पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही पर स्थानीय लोगों व परिवारजनो द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।